रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-24062023-246798
CG-DL-W-24062023-246798

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 23] नई दिल्ली, जून 18—जून 24, 2023, शनिवार/ ज्येष्ठ 28—आषाढ़ 3, 1945
No. 23] NEW DELHI, JUNE 18—JUNE 24, 2023, SATURDAY/ JYAISHTHA 28—ASHADHA 3, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 जून, 2023

सा.का.नि. 66.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में सिस्टम प्रशासक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, सिस्टम प्रशासक, भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर.**—पद संख्या, वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (6) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार, का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपाबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयुसीमा मे छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
सिस्टम प्रशासक	01* (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय, राजपत्रित, समूह 'क'	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700/-रु.)

चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(5)	(6)	(7)	(8)
चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः-	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष	प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर	**प्रोन्नतिः**	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के**	प्रत्येक मामले में

	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	वेतन मेट्रिक्स के स्तर-9 (53100-167800 रु.) में ऐसे वैब प्रशासक जिन्होंने उसमें 7 वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पणः-** वेतन मेट्रिक्स के स्तर-9 (53100-167800 रु.) में वैब प्रशासक के पद को नियमित आधार पर धारण करने वाले व्यक्ति के लिए पात्रता सेवा इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को 5 वर्ष तक जारी रहेगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन कार्य करने वाले ऐसे अधिकारी, (क) (i) जो मूल प्रवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर-10 या समतुल्य में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हैं; और (ख)जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है, अर्थात:- **आवश्यक:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर उपयोजन या कम्प्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री या एम.एससी. (कम्प्यूटर विज्ञान) या सूचना प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर इंजीनियरी या कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी अथवा कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी या सूचना प्रौद्योगिकी में बीई या बी-टेक। (ii) किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय या मान्यता प्राप्त संस्था में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात सर्वर्स, के विन्यास और अनुरक्षण , स्टोरेज, डेटाबेस कन्फीग्रेशन और अनुरक्षण, के क्षेत्र में अर्हता पश्चात पांच वर्ष का अनुभव। **वांछनीय**:- (i) लैन और वैन (LAN And WAN) प्रौद्योगिकी के विन्यास का एक वर्ष का अनुभव। (ii) वेब स्पियर, अपाचे, आईआईएस या इनके जैसी वेब आधारित प्रौद्योगिकियों में और पर्ल, पीएचपी, एचटीएमएल, पाइथन लैंग्वेज या उनके जैसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज में एक वर्ष का अनुभव। (iii) नेटवर्क और सूचना सुरक्षा, ऐप्लिकेशन	**लिए) जिसमें में निम्नलिखित होंगे:-** (i) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य-अध्यक्ष; (ii) निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी- सदस्य; (iii) संयुक्त निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी- सदस्य। **विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** (1) निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी - अध्यक्ष; (2) संयुक्त निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी - सदस्य; (3) उप-निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी- सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

		सिक्योरिटी ऑडिटिंग, फायरवॉल प्रबंधन, और सुभेद्यता मूल्यांकन का एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।		

[फा. सं. 23011/79/2018-पीटी]

रमण कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 15th June, 2023

G.S.R. 66.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of System Administrator in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, under the Ministry of Home Affairs, namely: -

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, System Administrator Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.—**The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. .—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing, relaxany of the provisions of these rules after consultation with the Union Public Service Commission with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward classes, the ex-servicemen and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Level in pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
System Administrator	1* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted, Group 'A',	Level -11 (Rs. 67700-208700/-) in the pay matrix.	Selection Post

Age-limit for direct recruits	**Educational and other qualifications required for direct recruits**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two Years	Promotion failing which deputation (including short term contract)

In case of recruitment by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made
(11)
Promotion: Web Administrator in Level-9 in the pay matrix (Rs. 53100-167800) with 7 years regular service in the grade. **Note:** The eligibility service shall continue to be five years for persons holding the post of Web Administrator in Level-9 (Rs. 53100-167800) in the pay matrix on regular basis on the date of Notification of these Rules. Deputation (including short-term contract): Officers under the Central government or State Government or Union Territories or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertaking or Universities or Recognised Research Institutes: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in level-10 in pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (b) Possessing the following educational qualifications and experience, namely :- **Essential :** (i) Masters degree in computer application or computer science or M.Sc (computer science) or Information Technology from a recognised University or Institute; or BE or B Tech in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology from a recognised University or Institute.

(ii) Five years post-qualification experience in the areas of System Administration viz. configuration and maintenance of servers, storage, database in a Government Office or Public Sector Undertakings or Autonomous Body or Statutory Body or recognised institution.

Desirable :-

(i) One year experience of the configuration of LAN and WAN technologies.

(ii) One year experience of web-based technologies of or similar to web spear, apache, IIS and scripting languages of or similar to pearl, PHP, HTML, python.

(iii) One year experience of Network and Information Security, application secutiry auditing, firewall management and vulnerability assessment.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

Note : 3 The departmental officers in the feeder catefory who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be elgible for consideration for appointment by promotion.

If a Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :– (i) Chairman or Member of Union Public Service Commission - Chairman (ii) Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Member (iii) Joint Director Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Member **Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of :–** 1. Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Chairman 2. Joint Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Member 3 Deputy Director Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary in each case.

[F. No. 23011/79/2018-PT]

RAMAN KUMAR, Under Secy.